

समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला भू-अर्जन शाखा)

अधिघोषणा

संख्या- 1653 / आर0

दिनांक- 24-06-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-योगीपुर थाना नम्बर- 609 थाना -भीरगंज, परगना-कुआड़ी, जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हथुआ-भटनी नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम- योगीपुर थाना नम्बर-609 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश 06.96 एकड़ के बराबर होता है ।

जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है ।

16 अंश, 61 अंश, 62 अंश, 112 अंश, 113 अंश, 111 अंश, 110 अंश, 109 अंश, 104 अंश, 105 अंश, 106 अंश, 107 अंश, 102 अंश, 101 अंश, 38 अंश, 40 अंश, 41 अंश, 42 अंश, 80 अंश, 79 अंश, 78 अंश, 77 अंश, 50 अंश, 57 अंश, 58 अंश, 59 अंश, 60 अंश, 60/698 अंश, ।

जिसकी चौहदी निम्नांकित हैं:-

उत्तर :- सीवान नटवा थाना नं0 421

दक्षिण :- सीवान डेरवां थाना नं0 612

पूरब :- खेसरा 16 अंश, 112 अंश, 113 अंश, 114 अंश, 110 अंश, 109 अंश, 102 अंश, 101 अंश, 41 अंश, 42 अंश, 80 अंश, 79 अंश, 77 अंश, 58 अंश, 60 अंश, 60/698 अंश, 62 अंश, 328 अंश, ।

पश्चिम :- खेसरा 15 अंश, 16 अंश, 112 अंश, 111 अंश, 110 अंश, 104 अंश, 105 अंश, 102 अंश, 40 अंश, 38 अंश, 42 अंश, 41 अंश, 78 अंश, 79 अंश, 50 अंश, 57 अंश, 59 अंश, 61 अंश, 62 अंश, 328 अंश, ।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक है, लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा बिहार भू-अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा -6 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।


समाहर्ता
गोपालगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर/सचिव

ज्ञाप सं० - 15/डी०एल०ए० गोपालगंज (रेल)- 12/08 - 1653/पटना, दिनांक- 24-06-13

- प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां में सी० डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभांरी उप समाहर्ता, जिला गजट, गोपालगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोपालगंज को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता, /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई०टी०, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।